

# कार्यालय नगर निगम भरतपुर

क्रमांक : एफ.( )न.नि.भ./स्मार्टराज/2018-19/

दिनांक:-

## सार्वजनिक सूचना

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1680 जयपुर, दिनांक 31.01.2017 द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्स फीस सम्बन्धी प्रावधान में संशोधन करते हुए वार्षिक लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है -

क्र.सं.	वर्गीकरण	लाइसेन्स फीस
1.	फाईव स्टार (डीलक्स) होटल	1,00,000
2.	फाईव स्टार होटल	75,000
3.	चार स्टार होटल	25,000
4.	दो एवं तीन स्टार होटल	15,000
<b>नॉन स्टार होटल</b>		
5.	होटल्स 10 कमरे तक	5,000
6.	होटल 20 कमरे तक	10,000
7.	होटल 20 से अधिक कमरों का	15,000
8.	रेस्टोरेन्ट (A.C.) 50 चैयर तक	5,000
9.	रेस्टोरेन्ट (A.C.) 50 चैयर से अधिक	10,000
10.	रेस्टोरेन्ट (Non-A.C.)	2500
11.	कैफे, केन्टिंग, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्शनरी (Sweetmeat)	1,000
12.	नमकीन के कारखाने एवं मिठाई के कारखाने	3,000
13.	चाट-पकौड़ी फास्ट फूड, डोसा भोजन के मोबाइल वाहन	2,000
14.	गैस युक्त शीतल पैय	250
15.	आईसक्रीम/आईस फैक्ट्री	3,000
16.	मिनरल वॉटर फैक्ट्री	3,000
17.	ब्यूटी पार्लर	1,000
18.	जिम	2,000
19.	स्वीमिंग पूल	1,000

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्गीकरण के आधार पर लाइसेन्स प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्मार्टराज योजना के तहत नगर निगम द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदकों को [smartraj.urban.rajasthan.gov.in](http://smartraj.urban.rajasthan.gov.in) पोर्टल खोलने के उपरान्त Citizen Services में जाकर पहले अपना Registration करना होगा, तदुपरान्त Trade Licence पर Click करके Online Apply करना होगा। आवेदक को आवेदन के साथ-साथ Additional Documents, Ud Tax Receipt (Current year), Address Proof, Aadhar Card+Pan card, Property Type (Ownership Doc)/ Lease Deed/Rent Agreement) etc. दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। आवेदक द्वारा उक्त रजिस्ट्रेशन स्वयं के स्तर से या ई-मित्र की सहायता से भी किया जा सकता है।

Trade Licence के लिये नगर निगम कार्यालय में प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ही Trade Licence के लिये आवेदन करें। Trade Licence ऑनलाइन ही जारी किये जावेंगे। उक्त वर्गीकरण के आधार पर Trade Licence नहीं लेने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अधिक जानकारी के लिये कमरा नं० 21 IT Cell (Smartraj) नगर निगम भरतपुर में सम्पर्क करें।

—sd—

आयुक्त  
नगर निगम, भरतपुर

दिनांक:- 3/10

क्रमांक : एफ.( )न.नि.भ./स्मार्टराज/2018-19/79-81

### प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भरतपुर (राज.) को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त ई-मित्र को उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए Trade Licence के आवेदन स्मार्टराज पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देश प्रदान करें।
2. संपादक महोदय राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को भरतपुर संस्करण अंक में न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित कर बिल डी.पी.आर. से दो प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।
3. सुरक्षित पत्रावली।

—sd—

आयुक्त  
नगर निगम, भरतपुर